6

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/20

GCMS id : 2020/00052

बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप, जाति नाई, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. स्व. रामनिवास पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –

2/1 रमेशचन्द मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व. रामनिवास, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3. स्व. नाथूलाल पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकामान –

3/1 बाबूलाल पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा

3/2 दुर्गाशंकर पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत बेदखली, हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 183, 88, 91 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति : श्री विद्याशंकर गोस्वामी, वादी अभिभाषक
श्री राघवेन्द्र पाल सिंह, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 25.05.2022

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 88, 91 बाबत बेदखली, हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वाद में निवेदन किया गया कि –

~ वादी के भूमिहीन एवं रिटायर्ड सैनिक होने के आधार पर दिनांक 13.01.1983 को ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल आराजी 4.12 हैक्टर भूमि का वादी को आवंटन किया गया।

उक्त आवंटन आदेश की अपील प्रतिवादीगण 2 व 3 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय द्वारा यह मानते हुये कि न्यायालय अपील सुनने को सक्षम नहीं है, उक्त अपील प्रतिवादीगण को वापस लौटा दी। प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 ने पुनः अपील जिलाधीश, कोटा के यहॉ प्रस्तुत की। कोटा जिलाधीश ने उक्त अपील खारिज कर दी तथा वादी का उक्त आवंटन सही माना। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण 2 व 3 ने उक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 03.10.1983 की अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की, वहॉ भी उनकी अपील दिनांक 25.03.1988 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार उपरोक्त न्यायालयों ने वादी का उक्त आवंटन सही माना।

~ सेटलमेन्ट अधिकारियों को उक्त आवंटन के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम खाते दर्ज करना था लेकिन प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 ने बिना किसी आधार के उक्त वादग्रस्त आराजी सिवायचक राज. सरकार की जगह सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया जिनको प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद सम्मानीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

~ वादी बहुत ही गरीब भूमिहीन रिटायर्ड सैनिक है जिसको सन् 1983 में वादग्रस्त आराजी का आवंटन किये जाने के उपरान्त भी आज तक उक्त भूमि का कब्जा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

नहीं मिला जबकि प्रतिवादी क्रम 1 राज. सरकार को वादी को उक्त आराजी पर कब्जा देना चाहिये था।

~ चूंकि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने जबरन अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है तथा वे किसी भी सूरत पर कब्जा छोडने को तैयार नहीं है, प्रतिवादीगण की स्थिति ट्रेसपासर की है एवं उनको उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

~ वादी ने **कई बार मौखिक एवं लिखित में तहसील लाडपुरा एवं परगना अधिकारी**, कोटा के यहां उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाने हेतु एवं उक्त आराजी को अपने नाम खाते में दर्ज करवाने एवं उक्त आराजी पर कब्जा दिलवाने हेतु निवेदन किया लेकिन वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर आज तक कब्जा नहीं मिला तथा उसका नाम खाते में दर्ज भी नहीं किया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी नं. 2 एवं 3 जिसके खाते में स्वयं की भूमि भी है। छल कपट करके उक्त वादी की एलॉटशुदा आराजी को अवैधानिक रूप से खातेदार कृषक बन गया है।

~ वादी ने **दिनांक 06.01.1989 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रशासन गावों की ओर भी में प्रेषित किया** लेकिन वहां भी उसके प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं फरमाया। अन्त में वादी को अपने वकील साहब द्वारा प्रतिवादी क्रम. 1 को रजि. नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. इस आशय का दिनांक 23.10.1992 को प्रेषित करवाया कि नोटिस प्राप्ति के 2 माह में वादी को एलॉटशुदा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दिलवाकर नाम जमाबन्दी में अंकित करवा दें। प्रतिवादी क्रम 1 को नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

~ वाद कारण दिनांक 13.01.1983 को एलॉटशुदा आराजी वादी को दिनांक 30.10.1993 को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त भी वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं दिलाने तथा उसका नाम खाते में अंकित नहीं किये जाने के कारण दिनांक 30.12.1993 को उत्पन्न हुआ।

~ वाद में प्रतिवादी क्रम 1 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। प्रस्तुत वाद श्रीमान के अधिकार क्षैत्र का है, श्रवण योग्य है एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

~ अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सव्यय इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल आराजी 4.12 हैक्टर ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जो वादी को को आवंटित की गई है। उक्त आराजी वादी के नाम अंकित की जावे तथा वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राज.टी.एक्ट 1955 के तहत डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर से प्रतिवादीगण 2 व 3 को बेदखल किया जाकर वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दिया जावे।

~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श 1 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी की प्रति
प्रदर्श 2 जिलाधीश, कोटा को प्रेषित पंजीकृत डाक की रसीद नम्बर 3803
प्रदर्श 3 जिलाधीश, कोटा को प्रेषित पंजीकृत डाक की प्राप्ति रसीद (ए.डी.)
प्रदर्श 4 ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 132, 133 की नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038
प्रदर्श 5 ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 299, 337 की नकल जमाबन्दी संवत 2047–2050
प्रदर्श 6 ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के (गत) साबिक खसरा नम्बर 139, 132 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श 7 वादी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 132 का आवंटन पत्र की नकल

सहायक कलक्टर (न्यायालय) कोटा

प्रदर्श 8 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत सिलिंग अपीलों के आदेश दिनांक 12.12.1988 की नकल (5 पेज)

प्रतिवादी क्रम 3/1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

~ वादी का आवंटन सिर्फ कागजों में कभी किसी वक्त हुआ हो तो जानकारी के अभाव में पूर्णतया स्वीकार नहीं है। वादी कभी भी दावे में आलेखित भूमि पर 1 मिनट के लिये भी काबिज काश्त नहीं रहा है। यदि आवंटन हुआ तो भी आवंटन की शर्तो का पालन नहीं होने से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, दूसरे शब्दों में वादी का तथाकथित आवंटन प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य (एबनिशियो नल एण्ड वॉइड) होना प्रमाणित है।

~ प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी सीधे सेटलमेन्ट से उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज नहीं करवाया है बल्कि न्यायालय में नियमानुसार सभी पक्षकारों को सुन कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किये जाने हेतु इसी वादग्रस्त भूमि का वाद प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 से उसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां की जाकर निर्णय दिनांक 28.09.2004 से प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के निर्णय डिक्री को निरस्त करते हुये उक्त प्रकरण इस न्यायालय में रिमाण्ड किया गया है। जिससे वादी के पक्ष में किया गया निर्णय 16.04.2003 समाप्त हो चुका है।

~ उक्त अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित था कि अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 10.04.1990 के द्वारा मृतक नाथूलाल व रामनिवास प्रतिवादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके थे तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 आज की दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं की गई है, आज की तारीख में प्रभावी है। जब प्रार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 153/90 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 के द्वारा घोषित *(खातेदार)* किया जा चुका था तथा उसकी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से भी पुष्टि की गई है, जिससे वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है।

~ वादी न तो रिकोर्डेड खातेदार है और न ही उसका कब्जा है, जिससे उक्त वाद खातेदारों के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी सेटलमेन्ट अधिकारियों से वादग्रस्त भूमि को खाते नहीं बंधवाया है बल्कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 की पालना तद्समय राजस्व रिकार्ड भू प्रबन्ध विभाग के अधीन कार्यरत होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना नियमानुसार की गई है।

~ वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद प्रस्तुत करने की मियाद मात्र 3 वर्ष होती है। वादी का वाद अवधि बाधित है।

~ वादी को आवंटन नियम के विरूद्ध प्रमाणित करता है क्योंकि प्रतिवादीगण 2 व 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व से ही खातेदार होने से तथा न्यायालय की डिक्री के आधार पर रिकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण कभी भी ट्रेसपासर की हैसियत से नहीं रहे है जिससे वादी को जो कि स्वयं खातेदार नहीं है और ना ही खातेदार बन सकता है। समस्त चरण स्वयं के द्वारा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त करता है। जिससे उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

~ उक्त अलोटशुदा भूमि वादी को न तो कभी भी कब्जा दिया गया है और ना ही उसे खाते बांधा गया है। जिसकी कार्यवाही वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से किया जाना और प्रतिवादी क्रम 1 की जानकारी में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को सक्षम न्यायालय द्वारा खातेदारी दिया जाना स्वयं वादी द्वारा स्वीकार करने से उक्त वाद अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

~ वाद कारण, स्वयं वादी के वाद के अनुसार दिनांक 13.01.1983 को उत्पन्न हो चुका था, उसे मियाद में लेने का असफल प्रयास कर मात्र दिनांक 30.10.1993 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी क्रम 1 के लिये तथा प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा नहीं दिलाने के कारण दिनांक 30.12.1993 पेन से आलेखित करना स्वतः ही वाद को अवधि बाधित होना प्रमाणित करती है जो कि लिमिटेशन एक्ट एवं ऐविडेन्स एक्ट के कानूनों से प्रतिबंधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

~ वादी को वादग्रस्त आराजी जिसके संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा जिस वादग्रस्त भूमि को इस न्यायालय की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय एवं डिक्री से प्रतिवादीगण को खातेदारी दी गई है उसके संबंध में उसी आराजी को इस न्यायालय में स्वयं की खातेदारी में घोषित किये जाने बाबत् प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है। जब धारा 88, 91 में वादी को खातेदारी ही नहीं दी जा सकती है तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण को 183 आर.टी.एक्ट के तहत बेदखल किये जाने की प्रार्थना गैरकानूनी होने से किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नहीं है।

~ वादी के वाद में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा स्वयं वादी के वाद अनुसार दिया जाना संभव नहीं होने से भारी हर्जे खर्चे से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने की कृपा करें।

~ प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श D-1 आदेश एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा इसी भूमि के सम्बन्ध में जारी की गई।

प्रदर्श D-2 आदेश एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 जो माननीय सहायक कलक्टर, कोटा द्वारा इसी भूमि के सम्बन्ध में जारी की गई।

3. माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 25.02.2020 की पालना में जवाब दावे की मद संख्या 03 व 06 के बाबत तनकी कायम सम्मिलित करते हुये निम्नानुसार संशोधित तनकीयात कायम किये जाकर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये गये –

(i) आया ग्राम मानसगांव में गत खसरा नम्बर 132 की हाल खसरा नम्बर 292 की 2.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर भूमि वादी को भूमिहीन व मिलिट्री रिटायर्ड होने के आधार पर 13.01.1983 को आवंटित हुई थी। –(वादी)

(ii) आया विवादित भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने भू–प्रबन्ध विभाग से मिलकर अवैधानिक तरीके से राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसका प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं था। –(वादी)

(iii) आया वादी की आवंटनशुदा भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.10.1993 को नोटिस के बावजूद भी अवैधानिक कब्जा नहीं छोडने पर इस न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। –(वादी)

(iv) आया इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.1987 के वाद में वादी को पक्षकार नहीं बनाये जाने से, राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 153/90 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.1990 वादी के विरूद्ध प्रभावशून्य व बेअसर है। –(वादी)

(v) आया वाद वादी अवधि बाधित है जो लिमिटेशन एक्ट एवं एवीडेन्स एक्ट के कानूनों से प्रतिबन्धित होने से चलने योग्य नहीं है। –(प्रतिवादी)

(vi) अनुतोष ?

4. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर विद्वान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2(1) व 3(1) के अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई।

वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र एवं पेश किये गये साक्ष्य शपथ पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि भूमिहीन एवं रिटायर्ड सैनिक होने से वादी को दिनांक 13.01.1983 को ग्राम मानसगांव की आराजी खसरा नम्बर 132

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(10)

रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा का आवंटन किया गया था। सेटलमेन्ट अधिकारियों को उक्त आवंटन के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम खाते दर्ज करना था लेकिन प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 ने बिना किसी आधार के उक्त वादग्रस्त आराजी सिवायचक राज. सरकार की जगह सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया। वादी बहुत ही गरीब भूमिहीन रिटायर्ड सैनिक है जिसको आज तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने जबरन अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है तथा वे किसी भी सूरत पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, प्रतिवादीगण की स्थिति ट्रेसपासर की है। प्रतिवादी नं. 2 एवं 3 छल कपट करके उक्त वादी की एलॉटशुदा आराजी को अवैधानिक रूप से खातेदार कृषक बन गये है। प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सादर इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299, 337 की कुल आराजी 4.12 हैक्टर ग्राम मानसगांव वादी को को आवंटित की गई है, को वादी के नाम अंकित की जावे तथा वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावे। वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णय की नजीर RRD-14.1.2018 Page 51-52 पेश की गई।

4. प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वादी को विवादित आराजी का आवंटन होने की जानकारी नहीं है। वादी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं रहा है जिससे यदि आवंटन हुआ तो भी आवंटन की शर्तो का पालन नहीं होने से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी को सीधे सेटलमेन्ट से अपने खाते दर्ज नहीं करवाया है। अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 10.04.1990 के द्वारा मुसम्मात नाथूलाल व रामनिवास प्रतिवादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके थे तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 आज तक प्रभावी है। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 की माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से भी पुष्टि की गई है, जिससे प्रतिवादीगण आज भी रिकोर्डेड खातेदार है। वादी न तो रिकोर्डेड खातेदार है और न ही उसका कब्जा है, जिससे उक्त वाद खातेदारों के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का वाद अवधि बाधित है। प्रतिवादीगण 2 व 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व से ही खातेदार होने से तथा न्यायालय की डिक्री के आधार पर रिकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण कभी भी ट्रेसपासर की हैसियत से नहीं रहे है। उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। उक्त अलोटशुदा भूमि वादी को न तो कभी भी कब्जा दिया गया है और ना ही उसे खाते बांधा गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व दौराने बहस पेश की गई नजीरों का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

   (i) *आया ग्राम मानसगांव में गत खसरा नम्बर 132 की हाल खसरा नम्बर 292 की 2.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर भूमि वादी को भूमिहीन व मिलिट्री रिटायर्ड होने के आधार पर 13.01.1983 को आवंटित हुई थी –*

   - इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
   - अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा आवंटन आदेश की प्रति (प्रदर्श–7) पेश की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिये बिना कब्जे की सरकार भूमियों के आवंटन हेतु

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) को।

(11)

आवेदन पत्र (प्रपत्र–3) (नियम 8) के अनुसार वादी के भूमिहीन व मिलिट्री रिटायर होने के आधार पर प्रपत्र–3 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम कैम्प ताथेड में वादी बजरंगलाल द्वारा दिनांक 13.01.1983 को आवेदन पेश किया गया। इस आवेदन के पृष्ठ भाग में अंकित रिपोर्ट पटवारी में प्रार्थी द्वारा चाही गई ग्राम मानसगांव के खसरा नम्बर 132 की 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म माल(3) के विवरण में अंकित किया है कि "सिलिंग अधिग्रहणाधीन भूमि है व इस पर रामनिवास, नाथू पुत्रान मन्ना खाती का ट्रेसपासर है" वादी के गांव मानसगांव में कोई भूमि नहीं है। आवंटन आदेश में वादी बजरंगलाल को यह सिलिंग भूमि कीमतन आवंटन के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार वादी के **इस** कथन की पुष्टि उसके आवंटन आदेश से हो रही है कि वादी को ग्राम मानसगांव के खसरा नम्बर 132 की 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी।

- वादपत्र की मद नम्बर–1 में अंकित कथन में गत खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 292 की 2.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर भूमि वादी को आवंटित किये जाने का उल्लेख है तथा इसी आधार पर यह तनकी कायम की गई थी। वादी के उक्त कथन की प्रमाणिकता की जांच हेतु ग्राम मानसगांव के मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–6) के अवलोकन करने पर पाया गया कि गत (साबिक) खसरा नम्बर 139 व 132 से नया खसरा नम्बर 337 रकबा 1.98 हैक्टर कायम किया गया था। वादी द्वारा पेश आवंटन पत्र (प्रदर्श–7) के अनुसार खसरा नम्बर 132 की 12 बीघा 7 बिस्वा आराजी आवंटित की गई थी। वर्तमान गणना पद्धति अनुसार 12 बीघा 7 बिस्वा के 1.98 हैक्टर होते है। इस प्रकार ग्राम मानसगांव के नये खसरा नम्बर 292 की 2.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर भूमि वादी को आवंटित किये जाने के कथन की पुष्टि नहीं हो रही है।
- इस तनकी में अंकित कथनों की पूर्णतः पुष्टि नहीं होने से यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(ii) *आया विवादित भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने भू–प्रबन्ध विभाग से मिलकर अवैधानिक तरीके से राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसका प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं था। –(वादी)*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- कथन की प्रमाणिकता के लिये हमें प्रारम्भ से ही इस पर विचार करना होगा। इसके लिये पत्रावली का प्रारम्भ से अवलोकन किया तो –
- हम देखते/(पाते) है कि वादी की ओर से पेश उक्त दावा प्रथमतः दिनांक 11.01.1995 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 16.04.2003 में वाद वादी आंशिक स्वीकार किया गया था।
- उक्त निर्णय की माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध जारी निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।
- तदुपरान्त इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय दिनांक 21.05.2019 को किया गया, जिसकी अपील होने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 के क्रम संख्या–13 के निर्देशानुसार एवं *(न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 03.01.2018 को जारी आदेशानुसार वादी की ओर से पेश दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के फलस्वरूप)* **निर्देशित दस्तावेजात पर** प्रदर्श डी–1 व डी–2 डाले गये। उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2020 के क्रम संख्या–14 के निर्देशानुसार जवाब दावा की मद संख्या 03 व 06 के बाबत तनकीयात कायम करते हुये **संशोधित तनकीयात** *दिनांक 14.10.2020* कायम किये जाकर शा. पत्रा. किये।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(12)

° उक्तानुसार रिकार्ड पर निर्देश गये प्रदर्शित दस्तावेजात के अवलोकन पर हम पाते है कि प्रतिवादी की ओर से पेश माननीनीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील क्रमांक 153/90 के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के बिन्दु संख्या–6 की अन्तिम पैरा में अंकित है कि ***"ऐसी सूरत में कोटा रियासत के सरक्यूलर संख्या 3 के अन्तर्गत भी ये लोग (अपीलांट के पूर्वज) जैली होने के नाते उप–कृषक की परिभाषा में स्पष्ट रूप से आते है।"*** इसी निर्णय के बिन्दु संख्या–7 में अंकित है कि ***"परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्र दिनांक 7–11–87 निरस्त किये जाते है और अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।"*** इस प्रकार अपीलान्ट 1–रामनिवास, 2–नाथूलाल पि0 मन्ना नि0 मानसगांव, तह0 लाडपुरा को उक्त निर्णय दिनांक 10.04.1990 द्वारा खातेदार घोषित किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय को किसी उच्चस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने सम्बन्ध कोई दस्तावेज वादी की ओर से नहीं पेश किया गया है।

° अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा की अपील संख्या 153/90 के निर्णय दिनांक 10.04.1990 से विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज होने के कारण विवादित भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने भू–प्रबन्ध विभाग से मिलकर अवैधानिक तरीके से राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लेने का वादी का कथन प्रमाणित नहीं होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(iii) *आया वादी की आवंटनशुदा भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.10.1993 को नोटिस के बावजूद भी अवैधानिक कब्जा नहीं छोडने पर इस न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में उत्पन्न हुआ।*

° इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस कथन के समर्थन में वादी की ओर से डाक रशीद प्रदर्श–2, डाक प्राप्ति रशीद प्रदर्श–3 एवं 80 सीपीसी नोटिस की प्रति प्रदर्श–4 पेश किया गया है।

° वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या–6 में अंकित वाद कारण में लिखा है कि दिनांक 13.1.83 को एलोटशुदा आराजी वादी को दिनांक 30.10.93 प्राप्त होने के उपरान्त भी वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं दिलाने तथा उसका नाम खाते में अंकित नहीं किये जाने के कारण दिनांक 30.12.1993 को उत्पन्न हुआ।

° इस प्रकार प्रदर्श 2, 3, 4 से जिलाधीश को धारा 80 सीपीसी का नोटिस भिजवाया जाना तो प्रमाणित माना भी जा सकता है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा अवैधानिक कब्जा नहीं छोडने का कथन इसलिये भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता क्योंकि यह नोटिस तो जिलाधीश को दिया गया तो इससे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के कब्जा छोडने का कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

° विवादित आराजी इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने तथा धारा 80 सीपीसी का नोटिस भिजवाना प्रमाणित होने से यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(iv) *आया इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.1987 के वाद में वादी को पक्षकार नहीं बनाये जाने से, राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 153/90 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.1990 वादी के विरूद्ध प्रभावशून्य व बेअसर है।*

° इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का इस कथन के समर्थन में यह तर्क रहा है कि उपरोक्त प्रकरणों में वादी पक्षकार नहीं था इसलिये ये निर्णय वादी पर लागू नहीं होते है। निर्णय दिनांक 10.04.1990 की कोई अपील होना, प्रकरण में पेश किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है अर्थात माना जा सकता है कि उक्त निर्णय की अपील नहीं हुई।

° चूंकि यह बिन्दु पूर्व में हो चुके निर्णय पर आधारित है इसलिये पूर्व निर्णय के

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

13

सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 का उल्लेख किया जाना भी उपर्युक्त होगा। धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत RES-JUDICATA (पूर्व न्याय) के सिद्धान्त का उल्लेख है। यहाँ RES का अर्थ वस्तु/वाद वस्तु है तथा JUDICATA का अर्थ पूर्व निर्णित है, जिससे RES JUDICATA को ***पूर्व निर्णित विषय वस्तु*** के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- धारा 11 सीपीसी के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवादित विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववत वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।
- धारा 11 सीपीसी के प्रावधान अनुसार अधिकतम भार विषयवस्तु का ही है। विवादित आराजी के खातेदार घोषित होने के सम्बन्ध में दिनांक 10.04.1990 को अन्तिम निर्णय हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण की विषयवस्तु, विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार से सम्बन्धित है।
- उक्त प्रकरण में वादी के पक्षकार नहीं होने से वादी द्वारा यह माना जा रहा कि यह निर्णय उसके विरूद्ध नहीं है लेकिन वादी को इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि विवाद की विषयवस्तु वहीं है जो पूर्व निर्णय की है। वादी द्वारा भी उसी विवादित आराजी के लिये खातेदारी अधिकार चाहे जा रहे है जो पूर्व निर्णय दिनांक 10.04.1990 की विवादित आराजी रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि पक्षकार कौन रहा ? मूल बिन्दु यही है विवाद की विषयवस्तु क्या है।
- अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 153/90 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.1990 की विषयवस्तु, प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित होने से उक्त निर्णय वादी के विरूद्ध प्रभावशून्य व बेअसर नहीं होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(v) *आया वाद वादी अवधि बाधित है जो लिमिटेशन एक्ट एवं एवीडेन्स एक्ट के कानूनों से प्रतिबन्धित होने से चलने योग्य नहीं है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 88, 91 के अपना तहत दावा पेश किया गया है।
- अधिनियम की धारा 88, 91 के अन्तर्गत दावा पेश करने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है अर्थात धारा 88, 91 के अन्तर्गत वादी कभी भी अपना दावा पेश कर सकता है।
- अधिनियम की तृतीय अनुसूची अनुसार धारा 183 के अन्तर्गत दावा पेश करने के लिये वाद कारण उत्पन्न होने से 12 वर्ष की अवधि निर्धारित है। इस सम्बन्ध में वादपत्र की मद संख्या–6 के अनुसार वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 30.12.93 अंकित की गई है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादी की वाद के अवधि बाधित होने सम्बन्धी आपत्ति इसलिये भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यदि वाद कारण, वादी को आराजी के आवंटन दिनांक 13.01.1983 को मान भी लिया जावे तो गणनानुसार वाद पेश करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 13.01.1995 निधारित होती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपना दावा 11.01.1995 को सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया। जो आवंटन दिनांक से 12 वर्ष पूर्ण होने के पहले दावा पेश होने का द्योतक है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अपना दावा पेश किया गया है। अतः वाद

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(14)

अवधि बाधित नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(vi) अनुतोष :- प्रस्तुत प्रकरण में –

- वादी द्वारा विवादित आराजी आवंटन के आदिनांक बहाल रहने के आधार पर प्रकरण की विवादित आराजी को अपने खाते दर्ज किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है।
- प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदारी दिये जाने का आदेश आदिनांक तक बहाल होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है।

7. उपरोक्तानुसार प्रकरण में कायम की गई समस्त तनकीयात के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी की ओर से पेश आवंटन पत्र (प्रदर्श–7) के अनुसार वादी को ग्राम मानसागांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 132 की 12 बीघा 7 बिस्वा का आवंटन किया गया था। आराजी के आवंटन उपरान्त वादी को उक्त आराजी पर कब्जा दिये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आवंटन पत्र (प्रदर्श–7) में वादी को उक्त आराजी कीमतन आवंटित किये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु वादी की ओर से पेश किसी भी दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी द्वारा आवंटन उपरान्त उसकी कीमत अदा करके कब्जा प्राप्त कर लिया हो। वादी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा होने अथवा दौराने आवंटन व उसके बाद कभी स्वयं का कब्जा रहा होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। वादी को विवादित आराजी का आवंटन होने के पूर्व से ही प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा था। उक्त कब्जे के आधार पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के अपीलीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 से अपीलान्ट को ग्राम मानसागांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 132 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। मुताबिक वर्तमान राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित काश्तकार खातेदार है। विवादित आराजी का आवंटन बहाल रहने की स्थिति में वादी को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 10.04.1990 की उच्चस्थ न्यायालय में अपील की जानी चाहिये थी, जो कि वादी द्वारा नहीं की गई। प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर विधिसंगत तरीके से काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रकरण में कायम की गई तनकी क्रम–1 वादी के पक्ष में आशिक तय होने, तनकी क्रमांक–3 व 5 वादी के पक्ष में तय होने तथा तनकी क्रमांक–2 व 4 वादी के विरूद्ध तय होने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के आदिनांक तक बहाल रहने तथा प्रस्तुत वाद पूर्व–न्याय (Res-Judicata) के सिद्धान्त से बाधित होने तथा विवादित आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं होने से धारा 183 का दावा पोषणीय नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 25-05-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर प्रधानालय कोटा

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा।

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप, जाति नाई, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. स्व. रामनिवास पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –

2/1 रमेशचन्द मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व. रामनिवास, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3. स्व. नाथूलाल पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –

3/1 बाबूलाल पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा

3/2 दुर्गाशंकर पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 183, 88, 91 RTA
मुकदमा नम्बर : 174/14
निर्णय दिनांक : 25-05-2022

GCMS id : 2020/00052

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री राघवेन्द्र पाल सिंह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 25–05–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण में कायम की गई तनकी क्रम–1 वादी के पक्ष में आशिक तय होने, तनकी क्रमांक–3 व 5 वादी के पक्ष में तय होने तथा तनकी क्रमांक–2 व 4 वादी के विरुद्ध तय होने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के आदिनांक तक बहाल रहने तथा प्रस्तुत वाद पूर्व–न्याय (Res-Judicata) के सिद्धान्त से बाधित होने तथा विवादित आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं होने से धारा 183 का दावा पोषणीय नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 25 मई, 2022 को लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	